न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 69/2013

उनवान

1. जडाव बेगम पत्नी मरदानी बेग
2. जंवर बेग पुत्र मरदानी बेग
3. रमजानी पुत्री मरदानी बेग जाति मुसलमान मुगल नि. ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

––– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. नियाज बेग पुत्र घीसा मृतक जरियें वारिसान

1/1. छोटी उर्फ मुमताज बेग पत्नी नियाज बेग
1/2. मामूदा पुत्री नियाज बेग पत्नी साबिर बेग पुत्र पीरू बेग
1/3. मुबारिक पुत्र नियाज बेग
1/4. सुल्तान पुत्र नियाज बेग
1/5. इस्लाम पुत्र नियाज बेग
1/6. नजमा पुत्री नियाज बेग

2. मुराद बेग
3. शफीक बेग
4. शरीफन बेगम पि. आलम बेग
5. मुरादी बेगम पुत्री आलम बेग
6. शरीफ बेग पुत्र शकरू बेग
7. सम्पत बेग
8. जमिल बेग
9. आमीन बेग
10. इरफान बेग
11. इकराम बेग
12. गुलाबी
13. शमीम
14. सुल्तान
15. सरदारी पि. हासम बेग
16. सोनकी बेगम
17. जमाल बेग
18. कमाल बेग
19. इसराक बेग
20. मोमिन बेग
21. समन बेग
22. शाहनूर बेग पि. जलाल बेग जाति मुसलमान मुगल नि. ग्राम जिलावडा, नसीराबाद.
23. उप पंजीयक नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 16:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

24. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण - 23, 24 जरियें राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

25. मुन्ना बेग पुत्र मरदान बेग जाति मुसलमान मुगल नि. ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

-- प्रफोर्मा प्रतिवादी :- अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 3.3.22

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जिलावडा तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादीगण के पूर्वज की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निमन प्रकार है :-

चौसाला ख0न0	रकबा	वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1470	2-3-10	1509	0.18	1661	0.18
		1527	0.17	1660	0.17

उक्त आराजी के मूल खातेदार चौसाला जामाबंदी सम्वत् 2020-23 आजम बेग बालिग व नियाज बेग नाबालिग पि0 घीसा 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त दोनो खातेदार द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1962 को वादीगण के पति/पिता तथा प्रतिवादी नम्बर 25 के पिता मरदान बेग को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। कय दिनांक से केता व उनकी मुत्यु के बाद वारिसान उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने उकत आराजी को वर्किंग जमाबंदी तथा हाल जमाबी में त्रुटिपूर्ण तरीकेसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्स दर्ज कर दिया जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनजा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 25 को खातेदार घोषित कर आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादीगण घोषित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 व 8 से 22 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पति व पिता मरदान बेग द्वारा दिनांक 12.06.1962 को दावाकृत भूमि का 1/2 हिस्सा कय करने का कथन गलत है। उक्त आराजी पर आजम बेग, नियसज बेग पि0 घीसा का 1/4 हिस्स ही निहित था। वादीगण आराजी मुतजनाजा पर सह खातेदार नही होने से उन्हे विभाजन प्राप्ति का अधिकार नही है। वादीगण द्वारा 50 वर्षो बाद वाद पेश किया है जो मियाद बाहर होने से सव्यय खारिज योग्य है।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज [illegible] ?

-- वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण विक्रय पत्र अनुसार खातेदारी व विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है ?

-- वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 16:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में जवर बेग, धूकल बेग तथा छोटू बेग के बयान दर्ज करवाये एव राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनकेविरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तथा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण उसके वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज व विक्रय पत्र अनुसार ग्राम ग्राम जिलावडा के चौसाला खसरा नम्बर 1470 रकबा 2–3–10 की आराजी का 1/2 हिस्सा आजम बेग व नियाज बेग ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.6.62 को मरदान बेग पुत्र सालम बेग को विक्रय कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र अनुसारविक्रय दिनांक को नियाज बेग नाबालिग होने के कारण आजम बेग ने स्वयं का हिस्सा व नियाज बेग का हिस्सा उक्त आराजी में मरदान बेग को विक्रय कर दिया था। मरदान बेग की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 25 है। पत्रावली में उपलब्ध चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2020–23 मे तथा वर्कि जमाबंदी में विकेता के नाम उक्त आराजी खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 1509 व 1527 विकेता आजम बेग व नियाज बेग के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। हाल जमाबंदी में हाल खसरा नम्बर 1660 व 1661 नियसज बेग के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्तानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से आराजी मुतनाजा उनके पूर्वज की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। पंजीकृत विकय पत्र की त्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रय के बाद धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज व साक्ष्य भी पेश पही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से वाद के कथनों की ताईद होती है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक कयशुदा है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा विकेता अथवा उसके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जानी थी। किन्तु वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी दोनो विकेता तथा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 अथवा उसके वारिसान प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। शेष प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 25 उक्त आराजी पर विक्रय पत्र अनुससार विभाजन व खातेदारी [illegible] के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम जिलावडा [illegible] 1660 रकबा 0.18 व 1660 रकबा 0.17 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या 25 को को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] की आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राज[illegible] रेकार्ड में अमल दरामद कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 16:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतनाजा पर वादीगण, प्रतिवादी संख्या 25 व अन्य सह खातेदारों के मध्य उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 3\3\22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 16:35:24 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इनाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जलाल बेग बनाम नियाज बेग

दावा बाबत – 53, 88, 188, राज का अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 69 / 2013
पेश करने की दिनांक – 06.06.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

उक्तानुसार ग्राम जिलावड़ा के हाल खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.18 व 1660 रकबा 0.17 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 25 को को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर आराजी मुतनाजा पर वादीगण, प्रतिवादी संख्या 25 व अन्य सह खातेदारो के मध्य उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 3 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 16:35:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद